Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(45)LC/RTPP/22/3643 **Date:- 12-05-2022**

<u>**अतिआवश्यक**</u>

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाईः– विद्युत–प्रथम, जयपुर।

विषयः– प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अन्तर्गत दायर प्रथम अपील 45/2022 मैसर्स ओम प्रकाश चौधरी बनाम परियोजना निदेशक, इकाई– चितौडगढ, आर.एस.आर.डी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि अनुभाग को देने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

12.05.22
(विभात सींवर)
वरिष्ठ विधि अधिकारी

Phone: EPBX-2711386-90 E-Mail:- gm@rsrdc.com Fax:- 0141-2711178 Website:- RSRDC.Com
RTPP

कार्यालय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 45/2022

मैसर्स ओम प्रकाश चौधरी — अपीलार्थी

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – चितौडगढ , आर.एस.आर.डी.सी. — प्रत्यार्थी

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी – संजय सक्सेना (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी की ओर से – अधिवक्ता सुकृति कासनिवाल
2. प्रत्यार्थी ओर से – परियोजना निदेशक यूनिट – चितौडगढ

निर्णय

दिनांक :– 12.05.2022

यह है कि वर्तमान अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अन्तर्गत धारा– 38 राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 अपीलार्थी मैसर्स ओम प्रकाश चौधरी जरिये श्री ओम प्रकाश चौधरी द्वारा दिनांक 13.04.2022 को दायर की गई।

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि परियोजना निदेशक यूनिट– चितौडगढ, आर.एस. आर.डी.सी. द्वारा निविदा संख्या 383/2021–22 दिनांक 11.03.2022 को जारी कर Additional Works on Banswara- Ratlam Road (from Km. 125/0 to 163/200) कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के अभियात्रिंकी विभागों में पंजीकृत एवं अनुभव प्राप्त निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ई– प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु निविदा अपलोड कर निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने की अवधि दिनांक 14.03.2022 प्रात 9.00 बजे से दिनांक 23.03.2022 सायंकाल 6.00 बजे तक प्रदत्त की गई। निविदा में यह भी निर्धारित किया गया कि जितने भी निविदा प्रपत्र दिनांक 23.03.2022 सायंकाल 6.00 बजे तक प्राप्त होगे, उन्हे सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा दिंनाक 24.03.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी।

यह है कि दिनांक 23.03.2022 को सायंकाल 6.00 बजे तक कुल दों निविदा प्रपत्र निविदाकर्ताओं के प्राप्त हुयें।

यह है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 23.03.2022 सायंकाल 6.00 बजे तक प्राप्त दोनों निविदा प्रपत्रों को खोला जाकर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी

मूल्यांकन किया गया। तकनीकी मूल्यांकन के समय मैसर्स ओम प्रकाश चौधरी की निविदा को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि मैसर्स ओम प्रकाश चौधरी ने अपलोड प्रपत्रों में स्वयं के पंजीकरण के पुनर्विलोकन प्रमाण पत्र पंजीकृत प्राधिकारी का संलग्न नहीं किया गया।

यह है कि अपीलार्थी मैसर्स ओम प्रकाश चौधरी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिनांक 24.03.2022 के विरूद्व वर्तमान अपील दिनांक 13.04.2022 को प्रस्तुत कर तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर स्वयं को निविदा में शामिल करने की राहत के लियें दायर की गई है।

यह है कि अपीलार्थी की अपील प्राप्त होने के उपरान्त अपील में सुनवाई एवं अपील का जवाब प्रस्तुत करने के लियें दिंनाक 19.04.2022 को नोटिस जारी कर उभयपक्षकारानों को दिंनाक 25.04.2022 को उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया।

यह है कि प्रत्यार्थी द्वारा अपील का जवाब दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रत्यार्थी के जवाब का प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी द्वारा समय चाहा गया। अपील की सुनवाई हेतुं दिंनांक 29.04.2022 निर्धारित की गई। दिंनाक 29.04.2022 को प्रत्यार्थी के अनुरोध पर सुनवाई हेतु दिंनाक 04.05.2022 नियत की गई। दिनांक 04.05.2022 को अपीलार्थी द्वारा प्रत्यार्थी के जवाब के क्रम में जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उभयपक्षकारान् को सुना गया।

सम्बन्धित अपील में मूल रूप से यह विवाद बिन्दू निर्णित किया जाना है कि आया अपीलार्थी द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत फर्म के पंजीकरण के आधार पर उनकी निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए था या पंजीकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण का पुनर्विलोकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यार्थी/आर एस आर डी सी द्वारा जारी निविदा में इस कथन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि निविदाकर्ताओं को उनके पंजीकरण के पुनर्विलोकन का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी का प्रस्तुत किया जाना है तथा उनके द्वारा फर्म का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के समय डाउनलोड किया गया था। उसकी वैधता की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी अर्थात् स्थायी प्रकृति का पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक है। पुनर्विलोकन प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें निविदा में असफल घोंषित करने की त्रृटि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गई है।

प्रत्यार्थी द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया उनका यह कथन है कि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो भी फर्म/संवेदक पंजीकृत है उन्हें अपने पंजीकरण का पुनर्विलोकन कराने हेतु वित्त एंव लेखा नियम भाग द्वितीय 374 परिशिष्ठ XVI के अनुभाग VII के अन्तर्गत पंजीकरण का पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् ठेकेदार स्वयं के द्वारा और विभागीय क्षेंत्र प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले कार्य सम्पादन आकडों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा।

उक्त नियम की पालना में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 14.12.2021 एवं दिनांक 16.12.2021 से कार्यालय आदेश जारी कर पंजीकृत सवेंदकों को नोटिस देने के उपरान्त भी पंजीयन का पुनर्विलोंकन नहीं करवाया गया है ऐसे संवेदकों/फर्मो को निर्देशित/सूचित किया गया कि दों वर्ष पूर्व जारी स्थायी पंजीयन के आदेशों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिनांक 31.12. 2021/15.01.2022 तक पुनर्विलोकन आवश्यक रूप से करवा ले अन्यथा पुनर्विलोकन नहीं करवाये जाने तक निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है।

यह है कि मूख्य अभियन्ता कार्यालय के आदेश दिंनाक 14.12.2021 तथा दिनाक 16.12.2021 के अनुसरण में ही प्रत्यार्थी द्वारा पुनर्विलोकन पंजीकरण का प्रमाण पत्र के अभाव में ही प्रत्यार्थी की निविदा को अस्वीकार करने का निर्णय तकनीकी मूल्यांकन समिति के स्तर पर दिंनाक 24.03.2022 को लिया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किसी भी प्रकार की त्रृटि निविदा प्रक्रिया में नहीं की गई है ना ही आर टी पी पी एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लघंन किया गया है।

प्रत्यार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि सम्बन्धित निविदा के क्रम में वित्तीय विड भी दिंनाक 13.04.2022 कों खोली जा चुकी है।

यह है कि यहॉ यह भी कथन किया जाना न्यायोचित है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं ने अपने पंजीकरण को पुनर्विलोकन कराने हेतु दिनांक 08.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में अपीलार्थी का पुनर्विलोकन पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र निविदा की अन्तिम तिथि 23.03.2022 के पश्चात् का है, जिसे आर टी पी पी एक्ट के प्रावधानोंनुसार रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संलग्न दस्तावेजात् एवं प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब एवं दस्तावेजात् एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिजोईन्डर का अवलोकन व परिशीलन गहनता से किया गया तथा उभयपक्षकारानों को सुना गया। पंजीकरण पुनर्विलोकन कराने का वित्तीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय 334 परिशिष्ट XVI अनुभाग VII में प्रदत्त नियम एवं उसके क्रम में कार्यालय मुख्यालय सावर्जनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिंनाक 14.12.2021 के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है कि प्रत्येक संवेदक/फर्म जिसका पंजीकरण सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है एवं पंजीकरण हुये 2 वर्ष की अवधि व्ययतीत हो गई है। उन्हें स्वयं के पंजीयन को पुनर्विलोकन करवाया जाना है अन्यथा स्थिति के अन्दर उन्हें पुनर्विलोकन प्रांप्त करने तक भावी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरा स्पष्ट अभिमत है कि

अपीलार्थी को निविदा में असफल घोषित करने में कोई विधिक एवं आर टी पी पी के अर्थात् त्रृटि नहीं की गई है।

यघपि सम्बन्धित निविदा में इस प्रकार का कोई उल्लेख वर्णित नहीं था कि निविदाकर्ताओं को स्वयं के पंजीकरण का पुनर्विलोंकन करवाया जाकर निविदा की अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है न्यायोचित होगा कि सम्बन्धित निविदा को निरस्त कर निविदाकर्ताओं को पंजीकरण पुनर्विलोकन प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी का प्रस्तुत करने का स्पष्ट निविदा में उल्लेख करते हुये Additional Works on Banswara- Ratlam Road (from Km. 125/0 to 163/200) कार्य हेतु जारी पूर्व की निविदा संख्या 383/2021–22 दिनांक 11.03.2022 को निरस्त कर नवीन अल्पकालीन निविदा जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को जारी किया गया ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ,

(संजय सक्सेना)
आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।